रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-06092024-256969 CG-MH-E-06092024-256969

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694] No. 694] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2024/भाद्र 14, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2024/BHADRA 14, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 4 सितम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2024

- सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/203.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में,-
 - I. विनियम 2 में.
 - i. उप-विनियम (1) में,
 - क. खंड (क) के बाद और खंड (ख) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात,-

5707 GI/2024 (1)

"(कक) "बोर्ड के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन" का अर्थ है - बोर्ड और भारत से बाहर के किसी प्राधिकरण के बीच किया गया ऐसा द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन, जिसमें जानकारी साझा करने की व्यवस्था के संबंध में प्रावधान हो, जैसा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (झख) के तहत उल्लेख किया गया है;

(कख) "बोर्ड" का अर्थ है - अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड:"

- ख. खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
 - "(ख) "प्रमाणपत्र" का अर्थ है इन विनियमों के तहत बोर्ड की ओर से अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;"
- ग. खंड (ख) के बाद और खंड (ग) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 - "(खक) "नियंत्रण" में शामिल है अधिकांश निदेशकों (डायरेक्टर्स) को नियुक्त करने का अथवा प्रबंध-मंडल (प्रबंधन / मैनेजमेंट) के निर्णयों या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार, जिसका प्रयोग, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति द्वारा या तो अकेले या फिर सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जा सकता है, जिसमें वह नियंत्रण शामिल है जो शेयरहोल्डिंग (शेयरधारिता) या प्रबंधन संबंधी अधिकारों अथवा शेयरधारक करारों (एग्रीमेंट) या मतदान संबंधी करारों की वजह से या किसी अन्य प्रकार से हासिल हो;"
- घ. खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
 - "(ग) "नामित बैंक" (डेसिग्नेटेड बैंक) का अर्थ है भारत में अनुसूचित बैंक, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;"
- ङ. खंड (ग) के बाद और खंड (घ) से पहले, निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात,-
 - "(गक) "अभिहित निक्षेपागार सहभागी" (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के अध्याय-III के तहत बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हो;"
- च. खंड (घ) में, शब्दों तथा चिह्न "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (" के बाद दिया हुआ शब्द "प्रतिभूति" हट जाएगा ।
- छ. खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात,-
 - "(छ) "विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक" का अर्थ है इन विनियमों के तहत रजिस्टर वह निवेशक, जिसका गठन भारत के बाहर हुआ हो, जो इन विनियमों के अनुसार निवेश करने का प्रस्ताव करता हो और जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) समझा जाएगा;"
- ज. खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
 - "(ज) "फॉर्म" का अर्थ है विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में रजिस्टर होने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन फॉर्म, जैसा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो या बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो;"
- झ. खंड (ज) के बाद और खंड (झ) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 - "(झक) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" या "आईएफएससी" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स एक्ट, 2005) की धारा 2 के खंड (थ) में इसके लिए दिया हुआ है;"

- ii. उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात,-
 - "(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए और अपरिभाषित, किंतु अधिनियम या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), प्रतिभृति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] [1956 का 42], निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996] [1996 का 22]. या उनके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में परिभाषित शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी पुन:अधिनियमिति में क्रमश: उनके लिए दिए हुए हैं।"
- विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-II.

"विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन

- 3. (1) कोई भी व्यक्ति विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में तब तक प्रतिभृतियों (सिक्यूरिटीज़) को न तो खरीदेगा, न बेचेगा और न ही उनमें अन्यथा लेनदेन (डील) करेगा, जब तक कि वह बोर्ड की ओर से अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र प्राप्त न कर ले।
- (2) विदेशी जोखिम पुँजी निवेशक के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) के पास उसी फॉर्म में और उसी तरह प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए:

परंतु यह कि जिन विदेशी जोखिम पुँजी निवेशकों को भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पुँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2024 के अधिसूचित होने की तारीख से पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो. वे अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) की नियक्ति उसी तरह करेंगे जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए और उन्हीं शर्तों के तहत करेंगे जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

- (3) आवेदन के साथ दूसरी अनुसूची में दी हुई फीस लगाई जाएगी और कोई दस्तावेज उसी प्रकार प्रस्तुत किए जाएँगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।"
- III. विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात,-

"पात्रता मानदंड

- 4. अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए किए गए आवेदन पर तब विचार करेगा, जब आवेदक निम्नलिखित शर्तें पूरी करे, अर्थातु:-
- (क) आवेदक एक ऐसी एंटिटी हो, जिसका गठन या तो भारत के बाहर हुआ हो या फिर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में हुआ हो;
- (ख) आवेदक उस देश का निवासी हो, जिसके प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विनियामक (रेग्यूलेटर) ने या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्यूरिटीज़ कमीशन के बहपक्षीय समझौता ज्ञापन (परिशिष्ट-ए हस्ताक्षरकर्ता) पर हस्ताक्षर किए हुए हों या फिर बोर्ड के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हों:
 - परंतु यह कि यदि आवेदक सरकार हो या सरकार से संबंधित निवेशक हो, तो उसे रजिस्टर होने के लिए तब पात्र माना जाएगा, जब वह आवेदक किसी ऐसे देश का निवासी हो जिसके संबंध में भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी जाए;
- (ग) यदि आवेदक बैंक हो, तो वह उस देश का निवासी हो, जिसका केन्द्रीय बैंक (सेंट्रल बैंक) बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का सदस्य हो:
 - परंतु यह कि यदि आवेदक केन्द्रीय बैंक हो, तो उसके लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का सदस्य होना जरूरी नहीं है:

परंतु यह और कि विनियम 4 के खंड (ग) के तहत दी हुई शर्त तब लागू नहीं होगी जब आवेदक को अपने देश के बैंकिंग क्षेत्र के विनियामक (रेग्यूलेटर) द्वारा विनियमित (रेग्यूलेट) किया जाता हो, फिर भले ही उस देश का केन्द्रीय 'बैंक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' का सदस्य न भी हो;

- (घ) आवेदक या उसके बेनिफिशियल ओनर {जो धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण नियम, 2005 [प्रीवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग (मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स) रूल्स, 2005] के नियम 9 अनुसार बेनिफिशियल ओनर हों} ऐसा (ऐसे) व्यक्ति नहीं होगा (होंगे) जिसके (जिनके) नाम का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनाइटेड नेशन्स सिक्यूरिटी काउंसिल) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली अनुशास्तियों संबंधी सूची (सैंक्शन्स लिस्ट) में हो और वह (वे) ऐसे देश का (के) निवासी न हो (हों) जिसकी पहचान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की सार्वजनिक घोषणा में:
 - (i) ऐसे देश के रूप में हो, जिसकी धन-शोधन निवारण से संबंधित नीतियों में खामियाँ हों या जो आतंकवाद का वित्तपोषण करने संबंधी स्थितियों से जूझ रहा हो और जिसे इनके खिलाफ कदम उठाने हों; या
 - (ii) ऐसे देश के रूप में हो, जिसने खामियों को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाए हों या जो खामियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के साथ मिलकर बनाई गई कार्य-योजना (एक्शन प्लान) के प्रति प्रतिबद्ध न हो;
- (ङ) आवेदक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] की अनुसूची-II में दिए हुए मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' हो: और
- (च) बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले किन्हीं अन्य मानदंडों पर खरा उतरे।"
- IV. विनियम 4क हट जाएगा।
- V. विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"जानकारी प्रस्तुत करना और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व

- 5. (1) बोर्ड या अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट), विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के संबंध में आवेदक से या कह सकेगा कि ऐसी कुछ और जानकारी प्रस्तुत करे या स्पष्टीकरण दे, जो भी जरूरी लगे।
- (2) प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के संबंध में यदि बोर्ड या अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) को जरूरी लगे, तो वह आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व हेतु बोर्ड के समक्ष हाज़िर होने के लिए कह सकेगा।"
- VI. विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"अपेक्षाओं के अनुरूप आवेदन

6. (1) विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु किए गए ऐसे आवेदन के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें खामियाँ हैं, जो हर तरह से पूरा न हो या जो किसी भी मामले विशेष में झूठा या भ्रामक पाया जाता हो या जो इन विनियमों में दी हुई अपेक्षाओं पर खरा न उतरता हो, और ऐसे आवेदन को अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा नामंजूर किया जा सकेगा:

परंतु यह कि ऐसे किसी आवेदन को नामंजूर करने से पहले, आवेदक को, अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा तय किए गए समय के भीतर, सुनवाई का उचित अवसर और खामी को दूर करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) आवेदन को नामंजूर किए जाने के निर्णय की सूचना अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा आवेदक को लिखित रूप में दी जाएगी, जिसमें यह जिक्र किया जाएगा कि आवेदन को किन आधारों पर नामंजूर किया गया है।

(3) जो आवेदक उप-विनियम (1) के तहत दिए गए अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) के निर्णय से असंतुष्ट हो, वह उप-विनियम (2) के तहत सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, बोर्ड के पास अभिहित निक्षेपागार सहभागी के निर्णय पर पनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकेगा:

परंतु यह कि पुनर्विचार हेतु किए गए ऐसे आवेदन पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, जिसे तकनीकी कारणों की वजह से नामंजूर किया गया हो, जैसे पूरी जानकारी, दस्तावेज प्रस्तुत न करना (जिसमें निर्धारित की गई फीस अदा न करना भी शामिल है)।

- (4) बोर्ड, उप-विनियम (3) के तहत पुनर्विचार हेतु किए गए आवेदन में किए गए निवेदनों पर विचार करने के बाद और सुने जाने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अपना निर्णय आवेदक को लिखित रूप में सूचित करेगा।"
- VII. विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

- 7. (1) यदि अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक पात्र है और इन विनियमों में दी हुई अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, तो वह, बोर्ड की ओर से, आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जिस पर बोर्ड द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या होगी, जैसा पहली अनुसूची के भाग-ख में जिक्र किया गया है।
- (2) अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) यह प्रयास करेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु किए गए आवेदन के संबंध में कार्यवाही, जल्द से जल्द किंतु अभिहित निक्षेपागार सहभागी द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने के पश्चात् या विनियम 5 के तहत मांगी गई जानकारी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात्, जो भी बाद में हो, तीस दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए।
- (3) आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर दिए जाने के बाद, अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) आवेदक से प्राप्त फीस (जिसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है) बोर्ड को भिजवा देगा।
- (4) यदि विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की मांग करने वाले आवेदक को अपने आवेदन के बारे में कोई शिकायत हो या यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या को लेकर अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) की कोई शंका हो, तो वह उचित अनुदेश आदि हेतु बोर्ड से संपर्क कर सकेगा।"
- VIII. विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात,-

"प्रमाणपत्र की शर्तें

- 8.(1) विनियम 7 के तहत विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक को प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) वह अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा;
- (ख) वह प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की अभिरक्षा (कस्टडी) के लिए भारत के अभिरक्षक (कस्टोडियन) [देशी अभिरक्षक] को नियुक्त करेगा;
- (ग) वह विशेष अनिवासी रुपया खाता (स्पेशल नॉन-रेसिडेंट रुपी अकाउंट) या विदेशी मुद्रा खाता (फॉरेन करेंसी अकाउंट) खोलने और उसके जरिए लेनदेन करने के लिए एक नामित बैंक के साथ करार आदि (अरेंजमेंट) करेगा।
- (2) विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारी देगा, ताकि वह इस बात की समीक्षा कर सके कि एंटिटी विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने से संबंधित मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं।

- (3) यदि विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक विनियम 4 के तहत दिए हुए पात्रता मानदंडों पर अब खरा न उतर रहा हो, तो ऐसे में विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक बोर्ड और अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) को जल्द से जल्द, किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर, लिखित रूप में सूचित करेगा।
- (4) अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) यह देखेगा कि विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक विनियम 4 के तहत दिए हुए प्रावधानों के अनुसार पात्रता मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं, बशर्ते कि उन शर्तों का भी उसी प्रकार पालन किया जाए, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।
- (5) जो विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक विनियम 4 में दी हुई शर्तों पर खरा न उतरता हो, उसके मामले में कार्यवाही उसी तरह से की जाएगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।"

IX. विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण और प्रमाणपत्र वापस सौंपना (सरंडर करना)

- 9. (1) इन विनियमों के तहत अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा बोर्ड की ओर से प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण तब तक जारी रहेगा, जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा निलंबित न कर दिया जाए या रद्द न कर दिया जाए अथवा उसे विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक द्वारा वापस न सौंप दिया जाए (सरंडर न कर दिया जाए), बशर्ते कि अधिनियम, इन विनियमों और उनके तहत जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) के प्रावधानों का पालन किया जाए।
- (2) रजिस्ट्रीकरण जारी रखने के लिए विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख के छठे वर्ष से शुरू होने वाले पाँच वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु, दूसरी अनुसूची में दी हुई नवीकरण फीस अदा करेगा और जो उस ब्लॉक के समाप्त होने से पहले अदा की जाएगी (बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए तरीके से) जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की जा चुकी हो।
- (3) यदि विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक रजिस्ट्रीकरण जारी रखने के संबंध में निर्धारित तारीख तक नवीकरण फीस और फीस अदा करने में हुई देरी हेतु फीस (जिसका जिक्र दूसरी अनुसूची में किया गया है) अदा न करे और उसके पास भारत में कोई निवेश पड़ा न हो, तो ऐसे विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपने रजिस्ट्रीकरण को वापस सौंपने (को सरंडर) के लिए आवेदन कर दिया है और ऐसे विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक का अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट), बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करने के बाद, इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण वापस सौंपे जाने के संबंध में आगे कार्यवाही करेगा।
- (4) यदि विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक रजिस्ट्रीकरण जारी रखने के संबंध में निर्धारित तारीख तक नवीकरण फीस अदा न करे और उसके पास भारत में किया हुआ निवेश पड़ा हुआ हो, तो ऐसे विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक को दूसरी अनुसूची में दी हुई नवीकरण फीस अदा करनी होगी, और उसके साथ जितने दिनों तक नवीकरण फीस अदा करने में देरी हुई हो उस प्रत्येक दिन के लिए फीस अदा करने में हुई देरी हेतु फीस अदा करनी होगी, किंतु जो नवीकरण फीस के डेढ़ गुणा से ज्यादा नहीं होगी:

परंतु यह कि जब तक नवीकरण फीस अदा न कर दी जाए, तब तक विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक न तो कोई नया निवेश कर सकेगा और न ही मौजूदा निवेश बेच सकेगा:

परंतु यह और कि जब तक नवीकरण फीस अदा न कर दी जाए, तब तक विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक [जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2024 के अधिसूचित होने की तारीख से पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो] कोई नया निवेश नहीं करेगा:

परंतु यह और कि यदि नवीकरण फीस और फीस अदा करने में हुई देरी हेतु फीस उस ब्लॉक के समाप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अदा न की जाए, जिसके लिए फीस अदा की जा चुकी हो, तो ऐसे में विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जा सकेगा।

- (5) इन विनियमों के तहत विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित किए जाने या उसे रद्द किए जाने के संबंध में कार्यवाही उसी प्रकार की जाएगी, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] के अध्याय-V में उल्लेख किया गया है।
- (6) जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंपना चाहता हो, वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंपने के संबंध में अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) के पास निवेदन कर सकेगा और जो बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंपने के संबंध में स्वीकृति देगा।
- (7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंपने के संबंध में स्वीकृति देते समय, अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) ऐसी शर्तें लगा सकेगा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।"
- X. विनियम 10 हट जाएगा।
- XI. विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"अभिरक्षक (कस्टोडियन) की नियुक्ति

- 14.(1) विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक की ओर से कार्य करने वाला ग्लोबल कस्टोडियन, इन विनियमों के तहत कोई निवेश करने से पहले, अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) और अभिरक्षक (कस्टोडियन) के साथ करार करेगा।
- (2) किन्हीं दूसरे विनियमों के तहत अभिरक्षक (कस्टोडियन) की जो बाध्यताएँ दी हुई हैं, उनके अलावा वह –
- (क) भारत में विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों के निवेश पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा;
- (ख) बोर्ड को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा;
- (ग) बोर्ड द्वारा माँगी जाने वाली जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा;
- (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक विनियम 9 के उप-विनियम (4) के अनुसार नवीकरण फीस अदा किए जाने तक न तो कोई नया निवेश करे और न ही अपना मौजूदा निवेश बेचे;
- (ङ) ऐसी किसी अन्य शर्त के पालन के संबंध में जिम्मेदार होगा, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए ।"
- XII. विनियम 15 के बाद और विनियम 16 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

"विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक की बाध्यताएँ और जिम्मेदारियाँ

15क. विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक –

- (क) इन विनियमों के प्रावधानों, जहाँ तक वे लागू होते हों, इनके तहत जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) और बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई किन्हीं अन्य शर्तों आदि का पालन करेगा;
- (ख) विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के तौर पर किए जाने वाले अपने कार्यों के संबंध में, भारत के मौजूदा कानूनी प्रावधानों और समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा परिपत्रों का हमेशा पालन करेगा:
- (ग) बोर्ड और अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेज़िग्नेटिड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) को लिखित रूप में सूचित करेगा (उसी प्रकार और उन समय-सीमाओं के भीतर जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए), यदि बोर्ड या अभिहित निक्षेपागार सहभागी को पहले प्रस्तुत की गई कोई जानकारी अथवा विवरण या तो किसी भी अहम पहलू के लिहाज से झूठे या भ्रामक पाए जाएँ या फिर उनमें कोई बदलाव हो जाए;
- (घ) बोर्ड और अभिहित निक्षेपागार सहभागी को लिखित रूप में सूचित करेगा (उसी प्रकार और उन समय-सीमाओं के भीतर जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए), यदि उसके द्वारा बोर्ड या अभिहित

निक्षेपागार सहभागी को पहले दी गई जानकारी में कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव हो जाता हो (जिसमें उसके संगठन के ढाँचे या स्वामित्व या नियंत्रण में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हुआ कोई बदलाव शामिल है);

- (ङ) ऐसी किसी शास्ति (पेनल्टी), चल रहे मुकदमों या चल रही कार्यवाहियों (प्रोसीडिंग्स), ऐसे निरीक्षणों या तहकीकातों (इन्वेस्टिगेशन) के निष्कर्षों की जानकारी बोर्ड और अभिहित निक्षेपागार सहभागी को, जल्द से जल्द किंतु सात कार्य-दिवसों के भीतर, देगा (उसी प्रकार और उन समय-सीमाओं के भीतर जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए), जिनके संबंध में उसके खिलाफ किसी दूसरे देश के विनियामक (रेग्यूलेटर) द्वारा कार्रवाई की गई हो या की जाने वाली हो;
- (च) विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के तौर पर की जाने वाली अपनी गतिविधियों के संबंध में कोई जानकारी, रिकॉर्ड या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जब कभी भी बोर्ड या भारत की किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए;
- (छ) आय-कर विभाग से स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करेगा;
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] की अनुसूची-II में दिए हुए मानदंडों के आधार पर उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति होगा;
- (झ) जिस देश में बना हो उस देश के लागू नियमों के अनुसार अपने शेयरधारकों (शेयरहोल्डर्स) / निवेशकों का जरूरी केवाईसी करेगा:
- (ञ) कोई अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज (जिनमें उनके ग्राहकों की बेनिफिशरी ओनरिशप संबंधी विवरण भी शामिल हैं) देगा, जैसा अभिहित निक्षेपागार सहभागी या बोर्ड या प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) करने वाली किसी दूसरी एजेंसी द्वारा देने को कहा जाए, तािक धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं. 2013 का 15) तथा उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के मानदंडों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) का पालन सुनिश्चित हो सके।

अभिहित निक्षेपागार सहभागियों (डेज़िग्नेटिड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) की बाध्यताएँ और जिम्मेदारियाँ

15ख.(1) किन्हीं दूसरे विनियमों के तहत अभिहित निक्षेपागार सहभागियों की जिन बाध्यताओं का उल्लेख किया गया है उनके अलावा, अभिहित निक्षेपागार सहभागी (जिसे उस आवेदक द्वारा नियुक्त किया गया हो, जो विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के तौर पर रजिस्टर होना चाहता हो), –

- (क) केवल तभी आवेदक के लिए डीमैट खाता खोलेगा, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के मानदंडों और बोर्ड द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) में दी हुई सभी अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक सतत रूप से इन सभी अपेक्षाओं का पालन करते रहें;
- (ख) निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के यहाँ खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार पूरी सावधानी बरतेगा (ड्यू डिलीजेंस करेगा) कि विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में किसी संबंधित आवेदक का प्रत्येक निक्षेपागार के यहाँ ऐसा कोई और खाता न हो;
- (ग) फीस एकत्र करेगा और बोर्ड को प्रेषित करेगा, उसी प्रकार जैसा दूसरी अनुसूची में बताया गया है;
- (घ) यदि विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक द्वारा यह सूचना दी जाए कि उसके संगठन के ढाँचे में या उसका गठन जिस रूप में हुआ हो, उसमें बदलाव हुआ है अथवा समान स्वामित्व या नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बदलाव हुआ है, तो ऐसे में इसकी फिर से समीक्षा करेगा कि वह विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक पात्र है या नहीं।
- (2) अभिहित निक्षेपागार सहभागी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेश करने की अनुमित केवल रजिस्टर हुए विदेशी जोखिम पुँजी निवेशकों को ही दी जाए;

- (3) अभिहित निक्षेपागार सहभागी अपनी गतिविधियों को इस प्रकार अलग-अलग रखेगा कि अभिहित निक्षेपागार सहभागी की हैसियत से विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक को रजिस्टर किए जाने के संबंध में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य और उसकी दूसरी गतिविधियों के बीच कोई हित-विरोध न रहे।
- (4) अभिहित निक्षेपागार सहभागी सही और उचित रिकॉर्ड, बही-खाते और दस्तावेज [जिनमें विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों को रजिस्टर किए जाने से संबंधित कागज़ात या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं] रखेगा (जो भी रखने जरूरी हों)।
- (5) अभिहित निक्षेपागार सहभागी बोर्ड को लिखित रूप में उस स्थान की सूचना देगा, जहाँ ऐसे बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज रखे जाएंगे (जो भी रखने जरूरी हों)।
- (6) किन्हीं दूसरे लागू कानूनी प्रावधानों के तहत, प्रत्येक अभिहित निक्षेपागार सहभागी इस विनियम के अनुसार बही-खाते, कागज़ात या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखेगा।"
- XIII. पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियाँ आ जाएंगी, अर्थात्,-

"पहली अनुसूची भाग-क फॉर्म – क

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 [विनियम 3(2) देखें]

विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के तौर पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हुत आवेदन फॉर्म

1. आवेदक का नाम:

(पूरा नाम लिखें जैसा पहचा	न के सबूत / पते	के सबूत के त	तौर पर दिए गए	दस्तावेजों में वि	लेखा गया हो, ना	H
संक्षिप्ताक्षरों में न लिखें)						

2.	क्या आप कभी	किसी	दूसरे	नाम से	जाने	गए हैं?	' हाँ/नर्ह	ť
----	-------------	------	-------	--------	------	---------	------------	---

यदि आपका उत्तर हाँ हो, तो कृपया वह नाम बताएँ

3. बनने / स्थापित होने / गठित होने की तारीख (दिन/महीना/वर्ष)

	विवरण	तारीख (दिन/महीना/वर्ष)
क	बनने / स्थापित होने / गठित होने की तारीख	
ख) कारबार शुरू करने की तारीख	

4. वह स्थान और उस देश का नाम बताएँ जहाँ बनाया गया / स्थापित / गठित किया गया हो:

	विवरण	ब्यौरे
क)	स्थान	
ख)	देश	
ग)	देश का आईएसडी कोड	

	ावेदक कानूनन किस रूप में बन ो, स्थापित हुआ हो या रजिस्टर	-	•	कानून का नाम भी बताएँ जिसके तहत वह बना
		<u> </u>		
6. ਵੀ	ोगल एंटिटी आईडेंटिफायर एवं	टैक	स रेज़िडेंसी सर्टिफिवे	केट के ब्यौरे:
	विवरण			<u>ब</u> ्यौरे
क)	लीगल एंटिटी आईडेंटिफा	यर,	यदि लागू हो	
ख)	टैक्स रेज़िडेंसी सर्वि	फि	केट सं.	
ग)	टैक्स रेज़िडेंसी	— . का र	देश	
दें ।	एक स ज्यादा टक्स राज़डसा स ता और पत्र-व्यवहार से संबंधित			हों, तो (ख) एवं (ग) में और पंक्तियाँ जोड़कर ब्यौरे
	वेदक का रजिस्ट्रीकृत पता:	- 1		
	भरा/दरवाजा/ब्लॉक सं.			
	र/भवन/गाँव का नाम			
	मार्ग/पथ/डाकघर			
क्षेत्र/म	ोहल्ला/तालुका/उप-मंडल			
शहर/न	नगर/जिला			
राज्य/	संघ राज्यक्षेत्र			
पिन व	ोड/ ज़िप कोड			
देश				
(य		में १	मी हो, तो ऐसे में उग्	स कार्यालय का भी पता अलग से दिया जाए) <i>:</i>
	nमरा/दरवाजा/ब्लॉक सं.			
परिसर	र/भवन/गाँव का नाम			
सड़क/	मार्ग/पथ/डाकघर			
क्षेत्र/म	ोहल्ला/तालुका/उप-मंडल			
शहर/न	गगर/जिला			
राज्य/	संघ राज्यक्षेत्र			
पिन व	<u>ोड/ ज़िप कोड</u>			
देश				

7.3.	पत्र-व्यवहार	का	पता	_
------	--------------	----	-----	---

(कृपया जो लागू हो, उस पर सही का निशान लगाएँ)

रजिस्ट्रीकृत पता	कार्यालय का पता	कार्यालय का पता (जो भारत मे
	(जो दूसरे देश में हो)	हो)

7.4. संपर्क संबंधी ब्यौरे:

क्र.		रजिस्ट्रीवृ	त पता	कार्यालय का पता			
सं.	विवरण	देश का कोड	क्षेत्र/ एसटीडी कोड	संख्या	देश का कोड	क्षेत्र/ एसटीडी कोड	संख्या
1.	दूरभाष संख्या						
2.	फैक्स नंबर						
3.	मोबाइल नंबर						
4.	ई-मेल आईडी						
5.	वेबसाइट						

8. निवेश प्रबंधक से संबंधित जानकारी:

एंटिटी का नाम		
एंटिटी का प्रकार		
देश		
दूरभाष सं. / मोबाइल नं	फैक्स नं.	
ईमेल आईडी		

9. अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) से संबंधित जानकारी:

नाम			
पदनाम			
दूरभाष सं.	पै	कैक्स नं.	
ईमेल आईडी			

- 10. उस व्यक्ति से संबंधित जानकारी, जो अंतिम रूप से बेनिफिशियल ओनर (जिसे अंतिम रूप से लाभ हो रहा हो):
- 10.1. अभिरक्षक (कस्टोडियन) [जो व्यक्ति हो] / डीडीपी (अभिहित निक्षेपागार सहभागी / डेज़िग्नेटिड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) कई मापदंडों, जैसे कि एफवीसीआर किस देश का है, एंटिटी किस तरह की है, किस तरह का कारोबार किया जाता है, आदि, के आधार पर किए गए स्वतंत्र मूल्याँकन और उनसे जुड़े जोखिमों के अनुसार किए गए आकलन के आधार पर, निर्धारित सीमा से कम स्वामित्व वाले बेनिफिशियल ओनर के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज / स्वामित्व के ब्यौरे माँग सकता है।

हम यह घोषणा करते है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास अंतिम रूप से एंटिटी में
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आधार पर% से ज्यादा की बेनिफिशियल ओनरशिप हो और साथ
ही कंपनियों, न्यासों (ट्रस्ट) एवं सामान्य भागीदार / सीमित भागीदारी संरचना पर नियंत्रण
हो। हम इसलिए यहाँ नीचे एफवीसीआई के वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के ब्यौरे दे रहे हैं। उन
बेनिफिशियल ओनर की सूची नीचे दी गई है, जिनके पास ऊपर बताई गई सीमा-रेखा के
अनुसार स्वामित्व और/या नियंत्रण हो:

□ उन बेनिफिशियल ओनर की सूची नीचे दी गई है, जिनके पास ऊपर बताई गई सीमा-रेखा के अनुसार स्वामित्व और/या नियंत्रण हो ।

क्र. सं.	बेनिफिशियल ओनर (यानि कि संबंधित व्यक्ति) का नाम और पता	जन्म- तिथि	टैक्स रेज़िडेंसी वाले देश	किस देश की राष्ट्रीयता है	हैं या किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर, या फिर एक या एक से अधिक	ओनर (बीओ) के समूह के पास एफवीसीआई के शयरों में से कितने प्रतिशत शेयर हैं / एफवीसीआई की पूँजी में उनकी कितने प्रतिशत	/ सोशल सिक्यूरिटी नंबर / पासपोर्ट नंबर / सरकार द्वारा जारी किए गए किसी दूसरे पहचान पत्र (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस) का
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	ाहस्सदारा ह (7)	(8)

10.2. क्या एफवीसीआई में कुछ व्यक्तियों की या एक ही परिवार के व्यक्तियों की बेनिफिशयल ओनरशिप और नियंत्रण है?

जी हाँ /जी नहीं

11. आमदनी(आय)के ब्यौरे

	विवरण			ब्यौरे	ब्यौरे		
क)	आमदनी कहाँ-कहाँ	कृपया व	ह विकल्प चुनें जहाँ से सबसे ज्यादा आमदनी होती है:				
	से होती है:	1)	पूँजीगत लाभ (कैपिटल	लाभ (कैपिटल गेन) होता है			
		2)	कारोबार/पेशेवर के तौर	पर का	र्य करने से होती है		
		3)	कोई आमदनी ही नहीं ह	ोती			
		4)	कहीं और से आमदनी हो	ती है			
		5)	जो घर खरीदा हुआ है उ	ससे आ	मदनी होती है		
ख)	कारोबार/पेशे का	कोड	कारोबार/पेशा	कोड	कारोबार/पेशा		
	कोड	01	चिकित्सा से जुड़ा पेशा	11	फिल्में, टीवी और मनोरंजन के		
			और कारोबार		ऐसे ही दूसरे माध्यम		
		02	इंजीनियरिंग	12	सूचना प्रौद्योगिकी		
		03	वास्तुकला	13	बिल्डर और डेवलपर		
			(आर्किटेक्चर)				
		04	चार्टर्ड अकाउंटेंट/	14	स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य, शेयर		
			अकाउंटेंसी		दलाल और उप-दलाल		
		05	गृह साज-सज्जा	15	कला प्रदर्शन और यात्रा		
			(इंटीरियर डेकोरेशन)				
		06	तकनीक से जुड़ी	16	जहाज, हॉवरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट		
			परामर्शी सेवाएँ		या हेलिकॉप्टर चलाने से जुड़े		
					कार्य		

	T	_			
		07	कंपनी सेक्रेटरी	17	टैक्सी, लॉरी, ट्रक, बस या दूसरे
					कमर्शियल वीहिकल चलाने से
					जुड़े कार्य
		80	कानूनी क्षेत्र से जुड़े	18	घोड़े के मालिक या घुड़सवार
			पेशेवर व्यक्ति और		
			सालिसिटर		
		09	सरकारी ठेकेदार	19	सिनेमा हॉल और दूसरे थिएटर
		10	बीमा एजेंसी	20	अन्य
ग)	कुल वार्षिक आय				
	(रुपये में)				
ঘ)	शुद्ध-मालियत	दिन/मह	हीना/वर्ष तक की स्थिति <mark>क</mark> े	अनुसा	ार
	(नेटवर्थ) [संपत्तियों				
	के मूल्य में से				
	देनदारियों का मूल्य				
	घटाकर निकाला				
	जाए] (रुपये में)				

12. आवेदक किस श्रेणी में आता है:

कृपया सबसे सही विकल्प चुनें

निवेश करने वाली कंपनी है, निवेश करने वाला न्यास (ट्रस्ट) है, निवेश करने वाला भागीदारी (पार्टनरिशप) फर्म है, पेंशन फंड है, म्यूचुअल फंड है, एंडाउमेंट फंड है, यूनिवर्सिटी फंड है, चैरिटी करने वाली संस्था है या आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी है), निवेश प्रबंधक है या निवेश प्रबंध कंपनी (इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी) है; निवेश करने वाला ऐसा कोई माध्यम है जो भारत के बाहर बना हो या जिसकी स्थापना भारत के बाहर हुई हो या फिर ऐसी कोई एंटिटी हो जो भारत के बाहर बनी हो या जिसकी स्थापना भारत के बाहर हुई हो

\sim	7.0	^	.00	0.	_	2.0	_	_		45	~
याद	काड	दसरा	णटटा	या निवंश	करने व	ाला कोई दस	रा माध्यम हो	. ता	ंकपया ब	यार	द:

 • •	 • •	•	-

13. आवेदक किस तरह की एंटिटी है:

कृपया सबसे सही विकल्प चुनें:

- 1)प्राइवेट कंपनी (आर)
- 2)पब्लिक कंपनी (यू)
- 3)निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) [डी]
- 4)वित्तीय संस्था (एस)
- 5)गैर-सरकारी संगठन (एन)
- 6)चैरिटी करने वाला संगठन (सी)

14. केवाईसी हेतु पहचान के सबूत और पते के सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज:

	विवरण	ब्यौरे
क)	पहचान का सबूत	
ख)	पते का सबूत	

THE GREET TE OF IT (BILL)	Entratorement [That in Sec.1]
 क्या आवेदक या आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / पूर्णकालिक निदेशक / पदाधिकारी – 	संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / भागीदार (पार्टनर) / न्यासी (ट्रस्टी) /
क) राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति हैं	हाँ / नहीं
ख) राजनीतिक जोखिम वाले व्यक्ति से संबंध रखते हैं	हाँ / नहीं
9	णा-पत्र / एफएटीसीए (फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट / ा-पत्र / सीआरएस (कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड) के अनुसार घोषणा-
17. उस विनियामक प्राधिकरण (रेग्यूलेटरी अथॉरिटी) के ब्यॉ	ोरे, जिसके दायरे में आवेदक आता है (यदि लागू हो)
नाम	
देश	वेबसाइट
विनियामक द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या / कोड (यदि कोई हो)	
आवेदक को किस श्रेणी के तहत / किस हैसियत से विनियमित (रेग्यूलेट) किया जाता है	
18. आवेदक जिस कस्टोडियन (अभिरक्षक) के जरिए आवेदन	कर रहा है क्या वह एक ग्लोबल कस्टोडियन है? हाँ / नहीं
यदि हाँ, तो उस कस्टोडियन का नाम बताएँ	
विनियामक का नाम बताएँ	
किस देश का विनियामक है	
विनियामक द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या / कोड (य कोई हो) का उल्लेख करें	पदि
पता	
19. अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क) अभिहित निक्षेपागार सहभागी के ब्यौरे अभिहित निक्षोपागार सहभागी का नाम सेबी द्वारा डीडीपी / अभिरक्षक (कस्टोडियन) को प्रदान गई रजिस्टीकरण सं.	ट), अभिरक्षक (कस्टोडियन) और निक्षेपागार सहभागी के ब्यौरे: की
ख) अभिरक्षक (कस्टोडियन) के ब्यौरे	
अभिरक्षक (कस्टोडियन) का नाम	
सेबी द्वारा अभिरक्षक (कस्टोडियन) को प्र रजिस्ट्रीकरण सं.	दान की गई
ग) निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) के ब	त्र्यौरे
निक्षेपागार सहभागी का नाम	
सेबी द्वारा निक्षेपागार सहभागी को प्रद	ान की गई

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15

20	अभिहित बैंक	(डेसिगेटेड बैंक	र्वीर के
ZU.	जामाहत बक	। डासग्नटड वक) ૧૦ જ્યાર

बैंक का नाम और शाखा	
पता	

21. भारत के प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से यदि पहले भी जुड़े थे, तो कृपया उसके ब्यौरे दें:

क्या आवेदक भारत के प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से पहले कभी किसी भी हैसियत से जुड़ा था? हाँ/नहीं

एंटिटी का नाम	किस हैसियत से रजिस्टर / जुड़ा हुआ है	सेबी द्वारा प्रदान की गई रजिस्ट्रीकरण सं. (यदि लागू हो)	रजिस्ट्रीकरण की अवधि

22.	क्या आवदक के पास स्थाया खाता संख्या (पन) हं?
	हाँ/नहीं
	यदि आपका उत्तर हाँ है, तो कृपया पैन नंबर बताएँ:

23. की गई अनुशासनिक कार्रवाइयों के ब्यौरे

ਵਾੱਂ/ਜਵੀਂ

क्या कभी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों, सदाचार संहिता / आचार संहिता, कारोबार के नियमों संबंधी संहिता का उल्लंघन हुआ है या उनका पालन नहीं किया गया है, जिसके लिए आवेदक या उसकी मूल / नियंत्री कंपनी (होल्डिंग कंपनी / धारिता कंपनी) या उसके सहयोगी (असोसिएट) / या संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / निवेश प्रबंधक को किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो या उन्हें उनका कामकाज करने से निलंबित किया गया हो अथवा उनके रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) को कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए वापस ले लिया गया हो या फिर ऐसी कोई विनियामक कार्रवाइयाँ की गईं हों जिनकी वजह से उस देश में निवेश से जुड़े उसके कामकाज को कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए निलंबित किया गया हो जहाँ वे अपने कामकाज कर रहे हों, और जिसकी वजह से वह भारत में निवेश करने के लिए विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के तौर पर रजिस्टर न हो पा रहा हो?

60 (61	
यदि उत्तर हाँ हो, तो कृपया नीचे दिए हुए बॉक्स में इसके संक्षिप्त ब्यौरे दें । अधिक जा	ानकारी देने के लिए, कृपया
संलग्नक भी लगाएँ ।	

घोषणा और वचन:				
हम	, आवेदक,	की हैसियत से, ग	रतद्वारा यह घोषप	गा करते हैं
कि आवेदन फॉर्म (जिसके साथ दस्तावे	ज / संलग्नक लगाए ग	ए हैं) में जो ब्यौरे दिए गए	ए हैं, वे हमारी ज	ानकारी के
अनुसार सत्य और सही हैं। हम यह र्भ	ो वचन देते हैं कि हम	इनमें होने वाले किसी बदर	<mark>राव की सूचना</mark> अ	ापको तुरंत
देंगे । हम यह जानते हैं कि यदि यह पार	या जाता है कि ऊपर र्द	ो गई कोई जानकारी गलत	है या झूठी जानक	ारी दी गई
है अथवा गुमराह करने वाली जानकारी	दी गई है या कोई जान	कारी गलत तरीके से पेश व	<mark>ि गई है, तो</mark> उसवे	ह लिए हमें
जिम्मेदार ठहराया जाएगा । हम एतद्वा	रा भारतीय प्रतिभूति ३	गैर विनिमय बोर्ड (विदेशी	जोखिम पूँजी विनि	ोधानकर्ता)
विनियम, 2000 [सेबी (फॉरेन वेंचर कैर्	पेटल इन्वेस्टर्स) रेग्यूले	शन्स, 2000] के अनुसार वि	त्रेदेशी जोखिम पूँज	ी निवेशक
के तौर पर रजिस्टर होने के लिए आवे	ादन करते हैं । इसके	अलावा, हमने भारतीय प्र	प्रतिभूति और विर्ा	नेमय बोर्ड
(विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) वि	वेनियम, 2000, उसके	तहत जारी किए गए परिष	ात्रों (सर्कुलर्स), द <u>ि</u>	शानिर्देशों,
विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों के कार	मकाज के संबंध में बो	र्ड द्वारा जारी किए गए ३	अक्सर पूछे जान <u>े</u>	वाले प्रश्नों

(एफएक्यू) और उनके उत्तरों को पढ़ और समझ लिया है और हम बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली किन्हीं अन्य शर्तों आदि का पालन करेंगे। हम एतद्वारा यह भी घोषणा करते हैं कि हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 के तहत दिए हुए पात्रता मानदंडों पर खरे उतरते हैं और हम विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के तौर पर रजिस्टर होने के लिए पात्र हैं।

स्थान: तारीख:	
आवेदक के लिए और की ओर से (आवेदक का नाम)	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
पदनाम	
तारीख	दिन/महीना/वर्ष

आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज क: घोषणा एवं वचन:

- 1) हमने भारत के मौजूदा कानूनी प्रावधानों, नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स) {जिनमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000, [सेबी (फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स) रेग्यूलेशन्स, 2000], विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999) (अधिनियम सं. 1999 का 42) और उनके तहत बनाए गए नियम एवं विनियम, निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेन्ट्स) संबंधी विनियम तथा उनके तहत जारी किए गए परिपत्र (सर्कुलर्स) और दिशानिर्देश भी शामिल हैं] को पढ़ और समझ लिया है और हम विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के तौर पर अपने कामकाज करते समय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) द्वारा निर्धारित की गई किन्हीं अन्य शर्तों आदि का और किन्हीं दूसरे विनियामकों (रेग्यूलेटर) द्वारा समय-समय पर जारी की गई किन्हीं अन्य शर्तों आदि का सदैव पालन करेंगे।
- 2) हम यह वचन देते हैं कि हम बिना कोई देरी किए वह अतिरिक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे [जिनमें केवाईसी संबंधी वे दस्तावेज भी शामिल हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट प्रदान की गई हो] / वे घोषणाएँ और वचन प्रस्तुत करेंगे जो आपके द्वारा / िकसी विनियामक (रेग्यूलेटर) द्वारा / कानून का प्रवर्तन करने वाली किसी एजेंसी द्वारा / एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत करने को कहा जाए, तािक धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 [प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, 2002] (अधिनियम सं. 2003 का 15) और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, एफएटीएफ के मानदंडों और बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक या किन्हीं दूसरे विनियामकों द्वारा उपरोक्त अपेक्षा के पालन हेतु समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों का पालन सुनिश्चित हो सके।
- 3) हम यह वचन देते हैं कि हम कामकाज के संबंध में जारी किए गए उन अनुदेशों / निदेशों का पालन करेंगे जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी दूसरे प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या किन्हीं दूसरे लागू कानूनी प्रावधानों के तहत समय-समय पर जारी किए जाएँ।
- 4) हम अभिरक्षक (कस्टोडियन) को पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) के जरिए खाते का संचालन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं और वह शेयर आदि सीधे हमारे खाते में जमा न कराए।
- 5) हम अभिरक्षक (कस्टोडियन) को खाता विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने के लिए प्राधिकृत करते हैं और हम ईमेल के पासवर्ड (यदि लागू हो) की गोपनीयता सुनिश्चित करेंगे।
- 6) हम अभिरक्षक (कस्टोडियन) को हमारी ओर से कंपनी फायदों के तौर पर मिलने वाली रकम पाने और ऐसे ही किन्हीं दूसरे कार्यों के मद्देनज़र निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के प्लेटफॉर्मों पर हाउस अकाउंट के सही-सही ब्यौरे रखने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

ख: अतिरिक्त जानकारी

1.	यदि आवेदक के प्रत्येक सब-फंड या शेयरों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग पोर्टफोलियो बनाकर रखा जाता हो / ऐसे
	ही कोई ढाँचे बनाकर रखे जाते हों, तो उन सब-फंडों या शेयरों के वर्गों / ऐसे ही ढाँचों के नाम बताएँ जो भारत में निवेश
	करना चाहते हों ।

क्र. सं.	उन सब-फंड या शेयरों के वर्गों / ऐसे ही ढाँचों के नाम जो भारत में निवेश करना चाहते हों

(प्रत्येक फंड / प्रत्येक सब-फंड / शेयरों के प्रत्येक वर्ग / ऐसे ही दूसरे प्रत्येक ढाँचे हेतु आवेदन फॉर्म के क्रम सं. 10 के अंतर्गत बेनिफिशियल ओनर के संबंध में घोषणा करना जरूरी है)

- 2. बैंक या बैंक की सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) होने या न होने के संबंध में घोषणा
 - □ हम न तो बैंक हैं और न ही किसी बैंक की सहयोगी कंपनी (सब्सिडियरी) हैं
 - □ हम एक बैंक हैं या एक बैंक की सहयोगी कंपनी (सब्सिडियरी) हैं और हमारा / हमारी समूह कंपनियों का एक शाखा कार्यालय या प्रतिनिधि कार्यालय भारत में मौजूद है

.0 0		
गरिटी का नाम		
एंटिटी का नाम		

- □ हम एक बैंक हैं या एक बैंक की सहयोगी कंपनी (सब्सिडियरी) हैं और हमारा / हमारी समूह कंपनियों का कोई भी शाखा कार्यालय या प्रतिनिधि कार्यालय भारत में मौजूद नहीं है
- 3. क्या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक यह चाहता है कि केआरए (अपने ग्राहक को जानिए संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसियाँ) किसी मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) को उसकी केवाईसी से संबंधित जानकारी डाउनलोड करने की अनुमित देने से पहले उसकी सहमित ले?

हाँ / नहीं

यदि उत्तर हाँ हो, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें

विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के प्राधिकृत प्रतिनिधि	
का नाम (यदि देना चाहें, तो दे सकते हैं)	
ईमेल आईडी – 1 (देना जरूरी है):	
ईमेल आईडी – 2 (यदि देना चाहें, तो दे सकते हैं):	
ईमेल आईडी – 3 (देना जरूरी है):	
मोबाइल नंबर (यदि देना चाहें, तो दे सकते हैं):	

4. विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के तौर पर आवेदन करने वाले आवेदक की ओर से फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्तियों / विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के तौर पर आवेदन करने वाले आवेदक के विरष्ठ प्रबंध-मंडल से संबंधित जानकारी

	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *									
Ţ.	क्र. सं.	नाम	आवेदक	के	पैन		किस देश की	जन्म-तिथि	वह पता	यदि सरकार
			साथ	क्या	(यदि	लागू	राष्ट्रीयता है	(दिन /	बताएँ जहाँ	द्वारा कोई
			संबंध है		हो)		/ किस देश	महीना /	रहते हैं /	पहचान-पत्र
			[अर्थात्				के निवासी	वर्ष)	रजिस्ट्रीकृत	जारी किया
			संप्रवर्तक	•			हैं		पता बताएँ	गया है, तो
			(प्रोमोटर) हैं,						उसकी

		निदेशक (डायरेक्टर)					संख्या
		(डायरेक्टर)					बताएँ
		हैं,					बताएँ (उदाहरण के लिए
		हस्ताक्षरकर्ता					के लिए
		हस्ताक्षरकर्ता हैं, आदि]					ड्राइविंग लाइसेंस)
							लाइसेंस)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							

5. बीच वाले (इंटरमीडिएट) बड़े शेयरधारक / स्वामित्व रखने वाली एंटिटी से संबंधित जानकारी

[ये ब्यौरे इसीलिए दिए जाएँ, ताकि यह तय किया जा सके कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र (सर्कुलर) के अनुसार बेनिफिशियल ओनर कौन-कौन हैं]

क) स्वामित्व या हकदारी के अनुसार ब्यौरे:

□ हम यह घोषणा करते हैं कि ऐसी कोई एंटिटी नहीं है, जिसके पास शेयरों / यूनिटों के जिरए, आर्थिक लाभ वाली भागीदारी (इकनॉमिक बेनिफिट पार्टिसिपेशन) [जिसमें कुल-मिलाकर सीधे तौर पर अथवा एक या एक से अधिक एंटिटियों के जिरए होल्डिंग रखना भी शामिल है], आदि के जिरए ___% के बराबर या उससे ज्यादा का स्वामित्व / की हकदारी हो।

या

□ उन एंटिटियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिनके पास शेयरों / यूनिटों के जिरए, आर्थिक लाभ वाली भागीदारी (इकनॉमिक बेनिफिट पार्टिसिपेशन) [जिसमें कुल-मिलाकर सीधे तौर पर अथवा एक या एक से अधिक एंटिटियों के जिरए होल्डिंग रखना भी शामिल है], आदि के जिरए ___% के बराबर या उससे ज्यादा का स्वामित्व / की हकदारी है:

बेनिफिशियल ओनर का नाम	इनके पास सीधे तौर पर या किसी के जरिए कितनी हिस्सेदारी है	(उन एंटिटियों	देश की	आवेदक में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है	व्यक्ति हैं / व्यक्ति नहीं हैं

ख) नियंत्रण के लिहाज से बेनिफिशियल ओनर कौन हैं:

□ हम यह घोषणा करते हैं कि ऐसी कोई एंटिटी नहीं है, जो मताधिकारों, करारों, व्यवस्थाओं आदि के जरिए नियंत्रण रखती हो ।

या

नियंत्रण रखने वाली एंटिटी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

बेनिफिशियल ओनर	नियंत्रण किस तरह से	किस देश में बने	आवेदक में	व्यक्ति हैं / व्यक्ति
का नाम	रखा हुआ है (कृपया	हैं / किस देश	कितना प्रतिशत	नहीं हैं
	ब्यौरे दें, यानि कि यह	की राष्ट्रीयता है	नियंत्रण रखा	
	बताएँ कि नियंत्रण		हुआ है (यदि	

	रखने के लिए यदि कोई जरिया अपनाया है, तो वह क्या है)	लागू हो)	

तारीख:

आवेदक का नाम: (आवेदक के हस्ताक्षर हेतु खाना) प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर

भाग-ख भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 [विनियम 3(2) देखें]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

I.	बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("अधिनियम") के तहत बनाए गए विनियमों
	के साथ पठित अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए
	एतद्वारा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों में दी हुई शर्तों के तहत,
	को विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है ।
II.	विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक की रजिस्ट्रीकरण संख्या है://।
III.	विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक का पता है
IV.	यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
	(विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 के अनुसार इसे निलंबित न कर दिया जाए या रद्द न
	कर दिया जाए या उसे वापस न सौंप दिया जाए ।
तारीख:	
स्थान:	

आदेश द्वारा हस्ताक्षर अभिहित निक्षेपागार सहभागी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

> भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की ओर से जारी किया गया

दूसरी अनुसूची विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक की ओर से अपेक्षानुसार फीस की अदायगी

[विनियम 3(3), विनियम 7(3) और विनियम 9 देखें]

रजिस्ट्रीकरण फीस

(1) विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक, अभिहित निक्षेपागार सहभागी के पास पॉर्म प्रस्तुत करते समय, रजिस्ट्रीकरण फीस के तौर पर 2500 अमरीकी डॉलर अदा करेगा या फिर ऐसी कोई अन्य रकम अदा करेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

नवीकरण फीस

(2) विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक अपना रजिस्ट्रीकरण जारी रखने के लिए पाँच वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु 100 अमरीकी डॉलर की नवीकरण फीस अदा करेगा।

- (3) संबंधित विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों के अभिहित निक्षेपागार सहभागी, उसके यहाँ रजिस्टर हुए सभी विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों से, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छठे वर्ष की शुरूआत से, पाँच वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक हेतु पहले ही नवीकरण फीस ले लेंगे, और फीस की वह रकम बोर्ड को उसी प्रकार प्रेषित करेंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (4) विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) जैसी अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय एजेंसी और अन्य संस्थाओं, जो सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के बाहर बनी हैं, और जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्रदान किए गए हों तथा कर एवं शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान की गई हो, को रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण फीस अदा करने से छूट होगी।

फीस अदा करने में हुई देरी हेतु फीस

- (5) यदि कोई विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक निर्धारित तारीख तक नवीकरण फीस अदा न करे और यदि उसके बाद भी उसके पास नकदी या प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) पड़ी रहे, तो ऐसे में वह विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक उपरोक्तानुसार नवीकरण फीस के साथ-साथ नवीकरण फीस अदा करने में जितने दिनों की देरी हुई उस प्रत्येक दिन हेतु फीस के तौर पर 5 अमरीकी डॉलर की फीस (अधिक से अधिक 150 अमरीकी डॉलर तक की फीस) अदा करेगा।
- (6) प्रत्येक अभिहित निक्षेपागार सहभागी ठीक पिछले महीने विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों से ली गई फीस, बोर्ड को, प्रत्येक महीने के पाँचवें कार्य-दिवस तक प्रेषित कर देगा, और साथ ही उसके ब्यौरे भी उस फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगा, जैसा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-॥।/4/असा./463/2024-25]

पाद टिप्पण :

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000, मूल विनियम, का.आ. सं.
 832 (अ) द्वारा, 15 सितम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 तत्पश्चात् :-
 - (क) 7 जून 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2001, का.आ. सं. 501(अ), द्वारा;
 - (ख) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा;
 - (ग) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा;
 - (घ) 5 अप्रैल 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2004, का.आ. सं. 469(अ), द्वारा;
 - (ङ) 4 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2006, का.आ. सं. 1443(अ), द्वारा;
 - (च) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा;
 - (छ) 29 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा;
 - (ज) 21 दिसम्बर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2010, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/22/30364, द्वारा;

- (झ) 21 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा;
- (ञ) 30 दिसम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/20/1972, द्वारा;
- (ट) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा;
- (ठ) 17 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा;
- (ङ) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा;
- (ढ) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/99, द्वारा; और
- (ण) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा,

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 4th September 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN VENTURE CAPITAL INVESTORS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/203.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, namely, —

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2024.
- 2. They shall come into force with effect from January 1, 2025.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, -
 - I. In regulation 2,
 - i. in sub-regulation (1),
 - a. after clause (a) and before clause (b), the following clauses shall be inserted, namely, "(aa) "Bilateral Memorandum of Understanding with the Board" means a bilateral Memorandum of Understanding between the Board and any authority outside India that provides for information sharing arrangement as specified under clause (ib) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

- (ab) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act;"
- b. clause (b) shall be substituted with the following clause, namely,"(b) "certificate" means a certificate of registration granted to a foreign venture capital investor by the designated depository participant on behalf of the Board under these

regulations;"

- c. after clause (b) and before clause (c), the following clause shall be inserted, namely,"(ba) "control" includes the right to appoint majority of the directors or to control the
 management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually
 or in concert, directly or indirectly, including by virtue of shareholding or
 management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other
 manner;"
- d. clause (c) shall be substituted with the following clause, namely, "(c)"designated bank" means a scheduled bank in India, which has been authorised by the Reserve Bank of India to act as a banker to the foreign venture capital investor;"
- e. after clause (c) and before clause (d), the following clause shall be inserted, namely,-"(ca) "designated depository participant" means a person who has been approved by the Board under Chapter III of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019;"
- f. in clause (d), the words "of securities" shall be omitted.
- $g. \quad \text{Clause (g) shall be substituted with the following clause, namely,} \\$
 - "(g) "foreign venture capital investor" means an investor incorporated or established outside India registered under these regulations, proposes to make investment in accordance with these regulations and shall be deemed to be an intermediary in terms of the provisions of the Act;"
- h. clause (h) shall be substituted with the following clause, namely,"(h) "form" means an application form for obtaining registration as foreign venture capital investor as notified by the Government of India or as specified by the Board;
- after clause (h) and before clause (i), the following clause shall be inserted, namely,"(ha) "International Financial Services Centre" or "IFSC" shall have the same meaning
 as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005
 (Act No. 28 of 2005);"

- ii. sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely,-
 - "(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), or the rules and regulations made thereunder shall have the same meaning as are respectively assigned to them in those Acts or rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto."
- II. Regulation 3 shall be substituted with the following, namely,-

"Application for grant of certificate as a foreign venture capital investor

- 3.(1) No person shall buy, sell or otherwise deal in securities as a foreign venture capital investor unless it has obtained a certificate granted by a designated depository participant on behalf of the Board.
- (2) An application for the grant of certificate as a foreign venture capital investor shall be made to a designated depository participant in the Form and in the manner specified by the Government or the Board from time to time:

Provided that the foreign venture capital investors who have been granted a certificate of registration before the notification of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2024 shall engage a designated depository participant in the manner and subject to such conditions as may be specified by the Board.

- (3) The application shall be supported by the fee specified in the Second Schedule and by any documents in the manner specified by the Board from time to time."
- III. Regulation 4 shall be substituted with the following, namely,-

"Eligibility Criteria.

- 4. A designated depository participant shall consider an application for grant of certificate of registration as a foreign venture capital investor if the applicant satisfies all of the following conditions, namely: -
 - (a) the applicant is an entity incorporated or established outside India or in International Financial Services Centre;
 - (b) The applicant is a resident of the country whose securities market regulator is a signatory to the International Organization of Securities Commission's Multilateral Memorandum of Understanding (Appendix A Signatories) or a signatory to a bilateral Memorandum of Understanding with the Board:
 - Provided that an applicant being Government or Government related investor shall be considered as eligible for registration, if such applicant is a resident in the country as may be approved by the Government of India;
 - (c) The applicant being a bank is a resident of a country whose central bank is a member of Bank for International Settlements:

Provided that a central bank applicant need not be a member of Bank for International Settlements:

Provided further that the condition specified under clause (c) of Regulation 4 shall not apply in case the applicant is regulated by the banking sector regulator in its home jurisdiction even if the central bank of that country is not a member of Bank for International Settlements;

- (d) The applicant or its beneficial owners identified in accordance with Rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, shall not be the person(s) mentioned in the Sanctions List notified from time to time by the United Nations Security Council and is not a resident in the country identified in the public statement of Financial Action Task Force as—
 - a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or
 - (ii) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;
- (e) the applicant is a fit and proper person based on the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008; and
- (f) any other criteria specified by the Board from time to time."
- IV. regulation 4A shall be omitted.
- V. regulation 5 shall be substituted with the following, namely,-

"Furnishing of information and personal representation.

- 5.(1) The Board or the designated depository participant may require the applicant to furnish such further information or clarification as may be considered necessary for the grant of the certificate of registration as a foreign venture capital investor.
- (2) The applicant or its authorized representative shall, if so required by the Board or the designated depository participant, appear before them for personal representation in connection with the grant of a certificate."
- VI. regulation 6 shall be substituted with the following, namely,-

"Application to conform to the requirements.

6.(1) An application for grant of certificate of registration to act as a foreign venture capital investor, which is not complete in all respects or is false or misleading in any material particular or does not satisfy the requirements specified in these regulations shall be deemed to be deficient and liable to be rejected by the designated depository participant:

Provided that before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard and to remove the deficiency, within the time as specified by the designated depository participant.

- (2) The decision to reject the application shall be communicated by the designated depository participant to the applicant in writing indicating the grounds for rejection of the application.
- (3) The applicant, who is aggrieved by the decision of the designated depository participant under sub-regulation (1) may, within a period of thirty days from the date of receipt of communication under sub-regulation (2), apply to the Board for reconsideration of the decision of the designated depository participant:

Provided that such application for reconsideration shall not be considered by the Board where the rejection was on account of technical reasons such as non-submission of complete information, documents, including non-payment of specified fee.

- (4) The Board shall, after considering the submissions made in the application seeking reconsideration made under sub-regulation (3) and after giving a reasonable opportunity of being heard, communicate its decision in writing to the applicant."
- VII. regulation 7 shall be substituted with the following, namely,-

"Certificate of registration.

- 7.(1) If the designated depository participant is satisfied that an applicant is eligible and fulfils the requirements as specified in these regulations, the designated depository participant shall, on behalf of the Board, grant the certificate of registration to an applicant, bearing registration number generated by the Board, specified in Part B of the First Schedule.
- (2) The designated depository participant shall endeavour to dispose of the application for grant of certificate of registration as soon as possible but not later than thirty days after receipt of application by the designated depository participant, or after the information called for under regulation 5 has been furnished; whichever is later.
- (3) Upon grant of certificate of registration to the applicant, the designated depository participant shall remit the fee, as specified in the Second Schedule, received from the applicant to the Board.
- (4) If an applicant seeking registration as a foreign venture capital investor has any grievance with respect to its application or if the designated depository participant has any question in respect of interpretation of any provision of these regulations, it may approach the Board for appropriate instructions."
- VIII. regulation 8 shall be substituted with the following, namely,-

"Conditions of certificate.

- 8.(1) The certificate granted to the foreign venture capital investor under regulation 7 shall be subject to the following conditions, namely:-
 - (a) it shall abide by the provisions of the Act, and these regulations;
 - (b) it shall appoint a domestic custodian for purpose of custody of securities;
 - (c) it shall enter into arrangement with a designated bank for the purpose of operating a special non-resident rupee or foreign currency account;

- (2) The foreign venture capital investor shall provide necessary information sought by the designated depository participant to review the eligibility of the entity to hold the certificate of registration as a foreign venture capital investor.
- (3) If the foreign venture capital investor no longer satisfies the eligibility criteria under Regulation 4, the foreign venture capital investor shall inform the Board and designated depository participant in writing as soon as possible but not later than seven working days.
- (4) The designated depository participant shall ascertain whether the foreign venture capital investor satisfies the eligibility criteria in terms of provisions under Regulation 4, subject to conditions and in the manner specified by the Board from time to time.
- (5) The foreign venture capital investor which does not satisfy the criteria under Regulation 4, shall be dealt with in the manner specified by the Board from time to time."
- IX. regulation 9 shall be substituted with the following, namely,-

"Renewal of registration and surrender of certificate.

- 9.(1) Subject to the compliance with the provisions of the Act, these regulations and the circulars issued thereunder, the registration granted by the designated depository participant on behalf of the Board under these regulations shall be permanent unless suspended or cancelled by the Board or surrendered by the foreign venture capital investor.
- (2) To keep the registration in force, the foreign venture capital investor shall pay renewal fee as specified in the Second Schedule for every block of five years from the beginning of the sixth year from the date of grant of certificate of registration and the fee shall be paid before expiry of the block for which fee has been paid, in the manner specified by the Board from time to time.
- (3) If the foreign venture capital investor fails to pay the renewal fee along with the late fee as specified in the Second Schedule to keep the registration in force within the specified due date and does not have any investment in India, such foreign venture capital investor shall be deemed to have applied for surrender of its registration and the designated depository participant of such foreign venture capital investor shall process the surrender after obtaining the approval from the Board.
- (4) If the foreign venture capital investor fails to pay the renewal fee for continuance of registration within the specified due date and has investment in India, such foreign venture capital investor shall pay the renewal fee as specified in Second Schedule, along with a late fee as specified Second Schedule for each day of delay in payment of renewal fee, subject to maximum of one and half times of the renewal fee:

Provided that until the renewal fee is paid, the foreign venture capital investor shall not make any new investment or sell its existing investments:

Provided further that until the renewal fee is paid, the foreign venture capital investors who have been granted a certificate of registration before the notification of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2024 shall not make any new investment:

Provided further that if the renewal fee, along with late fee, is not paid within thirty days from the date of expiry of the block for which fee has been paid, the certificate of registration of the foreign venture capital investor shall be liable to be suspended or cancelled.

- (5) The suspension and cancellation of certificate of registration of a foreign venture capital investor, shall be dealt with in the manner as provided in Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.
- (6) Any foreign venture capital investor desirous of surrendering the certificate of registration may request for such surrender to the designated depository participant who shall accept the surrender of the certificate of registration after obtaining approval from the Board.
- (7) While accepting the surrender of registration, the designated depository participant shall impose such conditions as may be specified by the Board."
- X. regulation 10 shall be omitted.
- XI. regulation 14 shall be substituted with the following, namely,-

"Appointment of custodian.

- 14. (1) A foreign venture capital investor or a global custodian acting on behalf of the foreign venture capital investor shall enter into an agreement with a designated depository participant and a custodian, before making any investment under these regulations.
- (2) In addition to the obligation of a custodian under any other regulations, the custodian shall be responsible for
 - (a) monitoring of investment of foreign venture capital investors in India;
 - (b) furnishing of periodic reports to the Board;
 - (c) furnishing such information as may be called for by the Board;
 - (d) ensuring that a foreign venture capital investor does not make any new investment or sell its existing investment until renewal fee is paid in terms of sub-regulation (4) of Regulation 9;
 - (e) any other condition as may be specified by the Board from time to time."
- XII. after regulation 15 and before regulation 16, the following regulations shall be inserted, namely,-

"Obligations and responsibilities of foreign venture capital investor.

- 15A. The foreign venture capital investor shall
 - (a) comply with the provisions of these regulations, as far as they may apply, circulars issued thereunder and any other terms and conditions specified by the Board from time to time;
 - (b) in relation to its activities as foreign venture capital investor, at all times, subject itself to the extant Indian laws, rules, regulations, guidelines and circulars issued from time to time;
 - (c) inform the Board and designated depository participant in writing, if any information or particulars previously submitted to the Board or designated depository participant are found to be false or misleading in any material respect or if there is any change in the information or particulars already submitted, in the manner and within the timelines as may be specified by the Board from time to time.
 - (d) inform the Board and designated depository participant in writing, if there is any material change in the information including any direct or indirect change in its structure or ownership or control previously furnished by him to the Board or designated depository

- participant, in the manner and within the timelines as may be specified by the Board from time to time:
- (e) as soon as possible but not later than seven working days, inform the Board and the designated depository participant, in case of any penalty, pending litigation or proceedings, findings of inspections or investigations for which action may have been taken or is in the process of being taken by an overseas regulator against it, in the manner and within the timelines as may be specified by the Board from time to time;
- (f) as and when required by the Board or any other Government agency in India, submit any information, record or documents in relation to its activities as a foreign venture capital investor:
- (g) obtain a Permanent Account Number from the Income Tax Department;
- (h) be a fit and proper person based on the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;
- (i) undertake necessary KYC on its shareholders/investors in accordance with the rules applicable to it in the jurisdiction where it is organised; and
- (j) provide any additional information or documents including beneficiary ownership details of their clients as may be required by the designated depository participant or the Board or any other enforcement agency to ensure compliance with the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (Act No. 15 of 2003) and the rules and regulations specified thereunder, the Financial Action Task Force standards and circulars issued from time to time by the Board.

Obligations and responsibilities of designated depository participants.

- 15B.(1) In addition to the obligation of designated depository participants under any other regulations, the designated depository participant engaged by an applicant seeking registration as foreign venture capital investor shall:
 - (a) open a dematerialised account for the applicant only after ensuring compliance with all the requirements under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (Act No. 15 of 2003) and rules and regulations specified thereunder, Financial Action Task Force standards and circulars issued by the Board in this regard, from time to time and shall also ensure that foreign venture capital investors comply with all these requirements on an ongoing basis;
 - (b) carry out necessary due diligence to ensure that no other depository account per depository is held by any of the concerned applicant as a foreign venture capital investor;
 - (c) collect and remit fees to the Board, in the manner as specified in the Second Schedule;
 - (d) in case of change in structure or constitution or direct or indirect change in common ownership or control reported by the foreign venture capital investor, re-assess the eligibility of such foreign venture capital investor.
- (2) The designated depository participant shall ensure that only registered foreign venture capital investors are allowed to invest in securities market.
- (3) The designated depository participant shall maintain segregation of activities such that there is no conflict of interest between the activity of grant of registration to a foreign venture capital investor in the capacity of a designated depository participant and its other activities.

- (4) The designated depository participant shall maintain the relevant true and fair records, books of accounts, and documents including the physical or electronic records relating to registration of foreign venture capital investors.
- (5) The designated depository participant shall intimate to the Board in writing the location where such books, records and documents shall be maintained.
- (6) Subject to the provisions of any other law for the time being in force, every designated depository participant shall preserve the books of accounts, physical or electronic records and documents specified in this regulation at all times."
- XIII. The First Schedule and the Second Schedule shall be substituted with the following, namely,-

"FIRST SCHEDULE PART A

FORM A

Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000

[See regulation 3(2)]

Application Form for Grant of Certificate of Registration as Foreign Venture Capital Investor (FVCI)

1. Name of the applicant:
(Full expanded name to be mentioned as appearing in proof of identity/ address documents, the name should
be provided without any abbreviations)
2. Have you ever been known by any other name? Yes/No
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Is yes, please give the other name
3. Date of Incorporation/ Establishment/Formation (DD/MM/VVVV)

	Particulars	Date (DD/MM/YYYY)
a)	Date of Incorporation / Establishment/Formation	
b)	Date of Commencement of Business	

4. Place and Country of Incorporation/ Establishment/ Formation:

	Particulars	Details
a)	Place	
b)	Country	
c)	ISD Country Code	

Legal	l form of the applicant and the la	w under which it	is incorporated, established or registere
Legal	Entity Identifier & Tax Residen Particulars	cy Certificate de	tails: Details
			Details
a)	Legal Entity Identifier (LEI), if	applicable	
b)	Tax Residency Certificate (TRC	C) No.	
c)	Country of Tax Residency		
+ Ad	ld (Add rows at b) and c) in case of	Multiple Tax Res	sidency details)
	ristered Address of the Applicant / Room/ Door/ Block No.	:	
Nam	ne of Premises/Building/ village		
Road	d/ Street/Lane/ Post Office		
Area	a/ Locality/ Taluka/ Sub-Division		
Tow	n/ City/ District		
State	e/Union Territory		
Pin (Code/ Zip Code		
Cou	ntry		
(If a	ice Address of the Applicant applicant has an office in India also	, please provide se	eparate entry for the same):
	at/ Room/ Door/ Block No.		
Na	ame of Premises/Building/ village		
Ro	oad/ Street/Lane/ Post Office		
Ar	rea/ Locality/ Taluka/ Sub-Division		
То	own/ City/ District		
Sta	ate/Union Territory		
Pi	n Code/ Zip Code		

7.3. Address of Communication/Correspondence –

Country

S.No	Particulars	Registere	ed address		Office add		
		Country Code	Area/ STD Code	Number	Country Code	Area/ STD Code	Numbe
1.	Telephone Number		Couc			Couc	
2.	Fax Number						
3.	Mobile Number						
4.	Email ID						
5.	Website						
/Mob	phone no bile no hil id httion pertaining to t	the Complia	nce officer:	Fax No.			
Nam	e						
Job 7	Γitle						
Telep	phone no			Fax No.			
E-ma	nil id						
ndividu docum evalua	nation regarding Unal Custodian/ entation/ownership tion and risk classifing jurisdiction, type of	Designated details at a cation of the	Depositor a lower thr respective F	y Participa eshold than FVCI applican	nt (DDPs) prescribed, b	ased on th	

	official of the FVCI as under. The list of beneficial owners as per materiality threshold for
	controlling ownership interest and / or on control basis is provided as under:
	The list of beneficial owners as per materiality threshold for controlling ownership interest and / or
ш	on control basis is provided as under:

S. No	Name & Address of the Beneficial Owner (Natural Person)	Date of Birth	Tax Residency Jurisdiction	Nationality	Whether acting alone or together, or through one or more natural person as group with their name & address	Beneficial Owner (BO) Group Percentage Shareholding / Capital/Profit Ownership in the FVCIs	Tax Residency Number/ Social Security Number/ Passport Number of BO/ any other Government issued identity document number (example Driving Licence) [Please provide any]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

$10.2.\,\text{Does}$ it have few persons or persons of the same family holding beneficial ownership and control? Yes /No

11. Income details

	Particulars	Details				
a)	Source of Income:	Please se	Please select the most appropriate:			
	meome.	1)	Capital Gains			
		2)	Income from Business/ Profess			
		3)	-,			
		4)				
		5)	Income from House Property			
b)	Code for	Code	Business/Profession	Code	Business profession	
	Business /	01	Medical Profession and	11	Films, TV and such other	
	Profession		Business		entertainment	
		02	Engineering	12	Information Technology	
		03	Architecture	13	Builders and Developers	
		04	Chartered Accountant/	14	Members of Stock	
			Accountancy		Exchange, Share Brokers and Sub-Brokers	
		05	Interior Decoration	15	Performing Arts and Yatra	
		06	Technical Consultancy	16	Operation of Ships, Hovercraft, Aircrafts or Helicopters	
		07	Company Secretary	17	Plying Taxis, Lorries, Trucks, Buses or other Commercial Vehicles	

		08	Legal Practitioner and Solicitors	18	Ownership of Horses or Jockeys
		09	Government Contractors	19	Cinema Halls and Other Theatres
		10	Insurance Agency	20	Others
c)	Gross Annual Income (in INR)				
d)	Net worth (Asset less liabilities) (in INR):	as on <u>dd</u>	l/mm/yyyy		

12. Type of applicant:

Please select the most appropriate category.

Investment company, investment trust, investment partnership, pension fund, mutual fund, endowment fund, university fund, charitable institution or asset management company, investment manager or investment management company; any other investment vehicle incorporated or established outside India or any other entity incorporated or established outside India

]	f any other entity or investment vehicle, please give details:							

13. Type of entity:

Please select one of the below options:

- 1) Private Company (R)
- 2) Public Company (U)
- 3) Body Corporate (D)
- 4) Financial Institution (S)
- 5) Non-Government Organisation (N)
- 6) Charitable Organisation (C)

14. Documents submitted as Proof of Identity (POI) and Proof of Address (POA) for KYC:

	Particulars	Details
a)	Proof of identity (POI)	
b)	Proof of Address (POA)	

15. Whether the applicant or the applicant's authorized signatories/ Promoters/ Partners/ Trustees/ Whole Time Directors/Office bearer is

a) A politically exposed personb) Related to a politically exposed personYes/No

16. Whether the applicant has provided with valid self-certification/ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) / Common Reporting Standard (CRS) declaration form?

Yes /Not applicable

17. Details of Regulatory authority by which the applicant is regulated (If applicable)

	Name				
=	Country		Web-site		
-	Registration Number/Code with regulator, if any				
-	Category / Capacity in which the applicant is Regulated				
18. <u>v</u>		nt is coming through Globa	Custodian? Yes/	No	
	If yes, please provid	e name of Global custodian			
Ē	Name of Regulator				
-	Country of Regulator	or			
=	Registration Number	r/ code with regulator, if any			
-	Address				
L					
	_	ated depository participant, nated Depository Participan		pository Participant:	
	Name of the Desig	nated Depository Participant			
	SEBI Registration	number for DDP/Custodian			
ł	Details of Custoo	lian			
	Name of the Custo	odian			
	SEBI Registration	number for Custodian			
c	Details of Depos	itory Participant	,		
	Name of the Depo	sitory Participant			
	SEBI Registrati Participant	on number for Deposi	tory		
	<u> </u>		L		
20 I	Details of the design	ated hank			
20. I	Details of the designation Name of the Bank a				
20. 1					

21. Details of Prior association with Indian securities market

Whether the applicant is/was anytime associated with Indian securities market in any capacity? Yes/No

Name of the Entity

Registered/ associated as

SEBI Registration
No. (if applicable)

Period of registration

22	Whether the applicant a Yes/No If yes, please mention PA	lready holds Permanent Acc	ount Number (PAN)?		
23	ethics/conduct, code of bu promoter/investment mana its operations or the regis that have resulted in temp where the applicant is open Yes/No	any instance of violation of siness rules, for which the appager may have been subjected tration, has been revoked, tenporary or permanent suspensionating and has a bearing on obtains briefly in below box. For many control of the street of	licant or its parent/holding to criminal liability or sus apporarily or permanently on of investment related taining FVCI registration for	g company or asso pended from carr or any regulatory operations in juri for investing in In	ociate/or rying out actions isdiction
		·			
	enclosed documents/annexu to inform you of any chang or untrue or misleading or a for registration as Foreign Exchange Board of India () understood the Securities a 2000, circulars issued ther regime provided by the Bo from time to time. We here	ereby declare that what is statures) is complete and true to the estherein, immediately. In casmisrepresenting, we are awaren Venture Capital Investor (Foreign Venture Capital Investand Exchange Board of India eunder, its operating guidelinard and shall abide with any by declare that we fulfil the elenture Capital Investor) Regularity.	ed in the aforesaid applicate best of our information see any of the above information that we may be held liable ("FVCI") in accordance stor) Regulations, 2000. For a (Foreign Venture Capitales, reply to frequently a other terms and condition ligibility criteria under the allations, 2000 and we are	and belief. We us nation is found to e for it. We herel with the Securi- turther, we have a al Investor) Reg sked questions of as specified by th Securities and E	ding the ndertake be false by apply ties and read and ulations, on FVCI are Board exchange
	Place:				
	For and on behalf of application	ant (Name of the applicant)			
	Signature of Authorized Signatory				
	Name of signatory				
	Designation				
	Date	Dd/mm/yyyy			

ANNEXURE TO APPLICATION FORM

A: Declaration & Undertaking:

- 1) We have read and understood the extant Indian laws, rules, regulations including Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, Foreign Exchange Management Act, 1999 (Act No. 42 of 1999) and rules & regulations made thereunder, Depository and Depository Participants Regulations, circulars, guidelines issued therein and shall in relation to our activities as FVCI, at all times, comply with and subject ourselves to any other terms and conditions specified by the Board, Reserve Bank of India (RBI), Depository or any other regulators from time to time.
- 2) We undertake to provide additional information/documents (including KYC documents exempted by the Securities and Exchange Board of India and Reserve Bank of India)/ declarations and undertakings as may be required by you/demand from any regulator/law enforcement agency/exchange without delay to ensure compliance with the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (Act No. 15 of 2003) and rules and regulations prescribed thereunder, FATF standards and circulars issued from time to time by the Board, RBI or any other regulators in compliance with said requirement.
- 3) We undertake to abide by operational instructions/ directives as may be issued by Securities and Exchange Board of India, Reserve Bank of India or any other authority from time to time under provisions of the Act or any other applicable law.
- 4) We authorize custodian to operate the account through Power of Attorney (PoA) and not to receive credits automatically into our account.
- 5) We authorize custodian to send statement of account in electronic form and we will ensure the confidentiality of the password of the email, as applicable
- 6) We authorize custodian to maintain appropriate house account details on depository platforms for the purpose of collection of monetary corporate benefits and any other similar activities on our behalf.

B: Additional information

 If segregated portfolio is maintained for each sub-funds or share classes/ equivalent structures of the applicant, names of such sub-funds or share classes/ equivalent structures that intend to invest in India.

Sr. No.	Name of sub-funds or share classes/ equivalent structures that intend to invest in India

(BO declaration at point 10 of application form is required for each fund/sub-fund/share class/equivalent structure that invests in India)

2. Bank or subsidiary of bank declaration

We are not a bank or a subsidiary of a bank We are a bank or a subsidiary of a bank and we/ group companies have a branch office or repres office in India	entativ	ve
Name of entity		
We are a bank or a subsidiary of a bank and we/group companies do not have any branch or representative office in India	ffice	or

3. Does FVCI wish KRAs to seek consent prior to permitting any intermediary to download their KYC information?

	inforn	nation?		-	_		·	
	Yes/N If Yes,		below informatio	n				
	Name of authorized representative of FVCI (optional) Email id 1 (Mandatory):							
	Email id 2 (Optional) : Email id 3 (Optional) : Mobile number (optional):							
•	I. Inform	Relations hip with Applicant (i.e. promoters, directors, Signatory etc.)	ect of Authorized PAN (if applicable)	signatories Nationalit /Country Residence	ty of	orm/ senior ma Date of Birth (DD/MM/Y YYY	nagement of F Residential/ Registered Address	VCI applicant Any Government issued identity document number (example driving license)
)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
		O	ng Intermediate				•	ne)
	☐ We de	clare that there t participation		ng >=% o				hares/units, economic th single or multiple
	OR							
		on etc. includin						its, economic benefit multiple entities are
_	Name of		Names of the en	ntity(ies)	Co	untry of	Percentage	Individual /Non-

No.

Name of Beneficial owner	Direct / Indirect Stake	Names of the entity(ies) through which the stake in the FVCI is held indirectly	Country of Incorporation / Nationality	Percentage stake held in the applicant	Individual /Non- Individual

b) Be	neficial Ownership by Control:						
☐ We etc	declare that there is no entity who controls throu	gh means like voti	ng rights, agreement	ts, arrangements,			
Det	ails of controlling entity is provided as under:						
Name of Beneficial owner	Method of Control (Give Details including names of the intermediate structures, if any, through which control is exercised)	Country of Incorporation / Nationality	Percentage control on the applicant, if applicable	Individual/Non- Individual			
Date: Name of Ap	pplicant:						
(Signature b	lock for Applicant)						
Signature(s)	of Authorised Person(s)						
SECUI	PART RITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA REGULATIO [See regulations of the company	(FOREIGN VEN DNS, 2000	TURE CAPITAL I	NVESTORS)			
	CERTIFICATE OF R	EGISTRATION					
India regis	I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (the "Act"), read with the regulations made thereunder the Board hereby grants a certificate of registration to as a foreign venture capital investor, subject to the conditions specified in the Act and in the regulations made thereunder.						
II. The	Registration Number for the foreign venture capita	l investor is//.	//				
III. The	address of the foreign venture capital investor is _		_				
	certificate shall be valid till it is suspended, cand Exchange Board of India (Foreign Venture Capital			th the Securities			
Date:							
Place:				By Order			
				Signature			

Name and Designation of the Authorized Signatory of Designated depository participant

Issued on behalf of Securities and Exchange Board of India

SECOND SCHEDULE

PAYMENT OF FEES APPLICABLE TO FOREIGN VENTURE CAPITAL INVESTOR

[See regulation 3(3), regulation 7(3) and regulation 9]

Registration Fee

(1) Foreign venture capital investor shall pay registration fees of \$2500 or any other amount specified by the Board from time to time, at the time of submission of the Form to the designated depository participant.

Renewal Fee

- (2) Foreign venture capital investor shall pay renewal fees of \$100 for every block of five years, to keep the registration in force.
- (3) The designated depository participants of the respective foreign venture capital investors shall collect the renewal fees in advance for every block of five years, from the beginning of the sixth year from the date of registration, from all the foreign venture capital investors registered by it, and remit the fees to the Board in the manner specified by the Board from time to time.
- (4) International or multilateral agency such as World Bank and other institutions, established outside India for providing aid, which have been granted privileges and immunities from payment of tax and duties by the Central Government shall be exempted from the payment of registration or renewal fees.

Late Fee

- (5) If a foreign venture capital investor fails to pay the renewal fees within the specified due date and has cash or security in India, such foreign venture capital investor shall pay the renewal fee as specified above, along with a late fee equal to \$5 per day for each day of delay in payment of renewal fee and the late fee shall be subject to maximum of \$150.
- (6) Every designated depository participant shall remit the fees collected from the foreign venture capital investors during the immediate preceding month, to the Board, by 5th working day of every month, along with the details in the format, as may be specified from time to time."

BABITHA RAYUDU, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./463/2024-25]

Footnote:

- (1) Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on September 15, 2000 vide S.O. No.832 (E).
- (2) The Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000 were subsequently amended: -
 - (a) on June 7, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 501(E);
 - (b) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045 (E);
 - (c) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E);
 - (d) on April 5, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No. 469(E);

- (e) on September 4, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. 1443 (E);
- (f) on May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide No LAD-NRO/GN/2008/11/126538;
- (g) on June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009, vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/11/167759;
- (h) on December 21, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2010, vide No.LAD-NRO/GN/ 2010-11/22/30364;
- (i) on May 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262;
- (j) on December 30. 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2014, vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/20/1972;
- (k) on March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037;
- (l) on April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;
- (m) on August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30;
- (n) on November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2022, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/99; and
- (o) on February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.